बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना–800001

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक- 70 .... दिनांक- 25.08.2020

महासचिव
डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586
डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261
संगठन सचिव
डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154
कोषाध्यक्ष
डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631
वित्त सचिव
डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705
अंकेक्षक
डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979
तकनीकी सचिव
डॉ० सीमु
मो० 9471642606
प्रचार सचिव
डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500
क्षेत्रीय सचिव
डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025
डॉ० संजीत कुमार
मो० 7070521479
डॉ० पंकज कुमार
मो० 8178451672
डॉ० करुणा भारती
मो० 9905277744
डॉ० साकेत कुमार
मो० 9471404196
डॉ० राजशेखर
मो० 7979085551
डॉ० निरंजन कुमार
मो० 9162394546
डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी
मो० 7091974830

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

बिहार।

विषयः–बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली – 2014 के अनुसार प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर का वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A की स्वीकृति देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली – 2014, बिहार सरकार के राजपत्र (असाधारण अंक) में अधिसूचना संख्या – 4288, दिनांक 11–12–2014 के द्वारा प्रकाशन की तिथि से ही प्रवृत है। नियमावली के अध्याय –2 कंडिका 3(5) के द्वारा सामान्य संवर्ग के लिए पदसोपान इस प्रकार स्वीकृत है (अनुलग्नक–1, पृष्ठ सं0– 01 से 08) यथाः–

1. प्रखंड पशुचिकित्सा पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष (मूल कोटि)।
2. अनुमंडल स्तर के पद यथा अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (प्रथम प्रोन्नति स्तर)।
3. जिला स्तर के पद यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)।
4. प्रमंडल स्तर के पद यथा क्षेत्रीय स्तर एवं समकक्ष पद (तृतीय प्रोन्नति स्तर)।
5. अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय (चतुर्थ प्रोन्नति स्तर)।

महाशय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या –7433, दिनांक 05.06.2018 के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के लिए वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A अनुमान्य होता है, जिसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया था :(अनुलग्नक–2, सा0 प्र0 वि0 का सं0 सं0 – 7433, पृष्ठ सं0–09 से 12) ।

परंतु विश्वस्त सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि पूर्व से प्रवृत नियमावली एवं प्रशासी विभाग के प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए वित्त विभाग द्वारा प्रोन्नति के मात्र दो (02) स्तर (वेतनमान Level — 11 एवं 12) की स्वीकृति दी गई है तथा नियमावली को ही संशोधन करने को कहा गया है, जबकि राज्य के अन्य सभी सेवा संवर्ग को उनके नियमावली के अनुरुप ही पदसोपान एवं प्रोन्नति

का लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा सहित कई अन्य सेवा के पदाधिकारी का सेवा Level —9 में प्रवेश में होता है तथा Level —14 तक प्रोन्नति प्राप्त होता है।

बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तरह ही बहुत बड़ा संवर्ग है, जिसमें प्रखंड के नीचे स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक का पद सृजित एवं स्वीकृत है। इसलिए अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, प्रमंडल स्तर एवं निदेशालय स्तर पर प्रोन्नति का पद होना नितांत आवश्यक है। पूर्व में भी अपर निदेशक का पद प्रोन्नति के चतुर्थ स्तर (तत्कालीन वेतनमान 4500–5700) का रहा है (अनुलग्नक–3, पृष्ठ सं0– 13 से 15) ।

महोदय राज्य के विकास में पशुधन एवं पशुचिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भवदीय द्वारा स्वयं पशुचिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समरुप वेतनादि का लाभ दिये जाने का घोषणा किया जा चुका है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि अन्य सेवा संवर्गों के तरह ही बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को भी बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली – 2014 के अनुसार प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के लिए वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A की स्वीकृति देने की कृपा प्रदान की जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

संख्या-3 पी० आर० सी०-02/92-781-वि० (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

दिनांक 8 फरवरी, 1996

संकल्प

विषय— असंगति निराकरण समिति के प्रतिवेदन में दी गई लाभकारी अनुशंसा को लागू करने के सम्बन्ध में।

फिटमेंट-सह-पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सेवीवर्ग का वेतन-पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6021 दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के जरिए किया गया। उक्त वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के खण्ड-2 में की गई अनुशंसाओं, जिनपर अलग से विचार करने का निर्णय लिया गया था तथा संकल्प में निहित विसंगतियों की जाँच-हेतु, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 पी० आर० सी०-011-89-6106 दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 के द्वारा, असंगति निराकरण समिति का गठन किया गया।

2. वेतन असंगति निराकरण समिति की अनुशंसाओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न अनुसूची-1 (अनुलग्नक-1) में अंकित कोटि के सेवकों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। जिन मामलों में सशर्त्त अनुशंसा थी और सूचनाएँ अनुपलब्ध हैं वहाँ सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान ही तत्काल स्वीकृत किया जा रहा है। पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होने पर पुनः आदेश निर्गत किया जाएगा।

3. अनुसूची-2 में ऐसे पदों की सूची है जिनके प्रसंग में समय-समय पर निर्गत आदेशों के जरिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है वे आदेश पूर्ववत प्रभावकारी रहेंगे।

4. संशोधित वेतनमान का लाभ सम्बन्धित सरकारी सेवकों को वैचारिक रूप से दिनांक 1 जनवरी, 1986 से एवं वास्तविक रूप से दिनांक 1 मार्च, 1989 से देय होगा। दिनांक 1 मार्च, 1989 से 31 मार्च, 1995 तक की बकाया राशि सभी सम्बद्ध कर्मियों के भविष्य निधि में जमा की जायेगी तथा उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण के अनुसार तिथि 1-4-1995 से ही नगद भुगतान देय होगा। जो कर्मचारी इस अवधि में सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा।

5. सरकारी सेवक जिनके वेतन का संशोधन इस संकल्प के जरिए किया जा रहा है उनका भी वेतन वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6021 दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 में निहित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित होगा। संशोधित वेतनमान में तिथि 1 जनवरी, 1986 के वेतन निर्धारण का सत्यापन भी आवश्यक होगा।

आदेश— *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करें।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-3 पी० आर० सी०-02/92-781-वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/पो०-हिन्नू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-781- वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. यदि किसी संवर्ग में वेतनमान में सुधार हुआ है और उसका अनुलग्नक-2 में नहीं हुआ है तो इसकी सूचना अविलम्ब वित्त विभाग को दी जाय।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-781- वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

अन्य सेवा	वर्त्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	पत्रांक / दिनांक
1	2	3	4
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सूपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,

5. बिहार सहकारिता सेवा

(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	,, ,,
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,

6. बिहार निबन्धन सेवा

(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	1213/25.3.1991
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	1213/25.3.1991
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,

7. बिहार वित्त सेवा

(क) मूल कोटि वाणिज्यकर पदाधिकारी	2200-4000	2200-4000	1153/21.3.1991
(ख) कनीय प्रवर कोटि सहायक आयुक्त	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) उपायुक्त वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल (संयुक्त आयुक्त)	3700-5000	4100-5300	,, ,,
(ङ) वरीय संयुक्त आयुक्त/ निदेशक विजिलेंस एवं मोनीटरिंग	4500-5700	4500-5700	,, ,,
(च) अपर आयुक्त	5100-6300	5100-6300	,, ,,

8. बिहार पशुपालन सेवा

(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	,, ,,
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	1153/21.3.1991
(ङ) अपर निदेशक	4500-5700	4500-5700	,, ,,
(च) निदेशक	5100-6300	5100-6300	,, ,,